प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' छ्त्तीस ' [8/3/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 4899]

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 4899 के प्रश्नांश ''ख'' का परिशिष्ट

डॉ सुधीर जैसानी, निलंबित प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा के विरूद्ध जॉच संबंधी जानकारी :—

1. संचालनालय स्तर पर डॉ.सुधीर जैसानी के जिला विदिशा में वर्ष 2013—2014 की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थी के दौरान उनके द्वारा साफ—सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु आमंत्रित की गई निविदा से संबंधित शिकायती प्रकरण में उनके विरूद्ध संचालनालय के आदेश दिनांक 18.02.2016 द्वारा विभागीय जांच संस्थित की गई **जो अपूर्ण होकर विभागीय जांचकर्ता अधिकारी के अधीन प्रचलन में है।**

2. संचालनालय स्तर पर डॉ.सुधीर जैसानी के जिला विदिशा में वर्ष 2014—2015 की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थी के दौरान साफ—सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था पर मापदण्ड के अनुरूप निर्धारित संख्या में सफाई कर्मी एवं सुरक्षाकर्मी नहीं लगाये जाने तथा ई.एस.आई. योजना लागू न होने पर उनके द्वारा राशि रूपये 32,85,152/—का अनावश्यक व्यय किये जाने संबंधी प्रकरण में डॉ.जैसानी को संचालनालय के पत्र दिनांक 28.01.2017 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करते हुये प्रतिवाद उत्तर चाहा गया **जो उनसे अप्राप्त है।**

3. **उपरोक्त के अतिरिक्त** डॉ.सुधीर जैसानी के जिला रीवा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थी के दौरान उनके द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में कमिश्नर रीवा संभाग,रीवा ने उनके आदेश दिनांक 24 जून 2016 द्वारा निलंबित करते हुये आरोप पत्रादि जारी किये गये। जारी आरोप पत्र का प्रतिवाद उत्तर डॉ.जैसानी द्वारा आयुक्त रीवा संभाग,रीवा को प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने के कारण आयुक्त, रीवा संभाग ने उनके आदेश दिनांक 17.01.2017 द्वारा डॉ.जैसानी के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करने का निर्णय लिया जाकर अपर कलेक्टर,रीवा को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाकर विभागीय जांच की कार्यवाही **अपर कलेक्टर, रीवा के अधीन प्रचलन में है।**

उप संचालक(विज्ञप्त)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म0प्र0